



2026:AHC:37206-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-3248/2026

विकास सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: धीरेन्द्र प्रताप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, नीरज श्रीवास्त, संदीप कुमार यादव

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.01.2026 को दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट(मुकदमा अपराध संख्या 0025/2026) को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ यह रिट याचिका दायर की है जो पुलिस थाना शाहपुर, जिला-गोरखपुर में बीएनएस की धारा 69,352,351(3), 316(2) के अंतर्गत दर्ज की गई है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता पूर्ण रूप से निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में मिथ्या फसाया गया है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गये आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है तथा इस प्रकार आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जाना चाहिए।
5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा है कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रतिवादी संख्या 3 की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींची हैं तथा उक्त तस्वीरों को हटाने के लिए कहे जाने पर उसने उन्हें उसके पति के पास भेज दिया है।

6. राज्य के विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेलंगाना राज्या बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2017) 2 एसीसी 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एसीसी 315 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 843 ऑफ 2024, निदेशालय प्रवर्तन बनाम नीरज त्यागी और अन्य के मामले में दी गई विधि को दृष्टि में रखते हुए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों पर विचार करने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता प्रतिवादी संख्या 3 की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींची हैं और उन्हें हटाए जाने के लिए कहे जाने पर उसके पति को वायरल कर दिया है, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक विधि को ध्यान में रखते हुए एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, हमारा मत है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है, अतः आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है।

8. जो भी हो, यदि याचिकाकर्ता उपयुक्त न्यायालय में अग्रिम/नियमित जमानत के लिए के आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर विधि के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

नदीम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”